

से जो दहशतगर्दी के वाक्यात सारे सूबों में फैल रहे हैं उनकी खत्म करने के लिए एक कोऑर्डिनेटिड और जानदार मुकम्मिल पालिसी बनाए।

NEED TO PROVIDE EQUAL RIGHT TO WIFE IN HER HUSBAND'S PROPERTY FORM THE DAY OF MARRIAGE

श्रीमती बीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज 20वीं सदी के दलते वर्षों में से एक और वर्ष 1993 के अंतिम दिनों में पारवर्तन के लिए मैं भारतीय स्त्री को विवाह के दिन से पति की चल-अचल संपत्ति में आधा अधिकार दिए जाने जैसे ठोस और क्रांतिकारी कदम उठाने की मांग करती हूँ ताकि वह भी इस पुरुषसत्तात्मक समाज में सिर्फ बंद गठरी की तरह लुढ़कते जुल्म सहते हुए नहीं बल्कि स्वाभिमान, अत्म-विश्वास, समता एवं स्वतंत्रता के अहसास के साथ जी सके।

आज भारतीय समाज में स्त्री के शोषण, अत्याचार का सबसे प्रमुख कारण यह है कि पुरुष न तो उसे स्वतंत्र करना चाहता है, न अधिकार ही देना चाहता है बल्कि उसे भोग्या समझकर सिर्फ उसका इस्तेमाल ही करना चाहता है। विवाह पूर्व तो स्त्री माता-पिता, भाइयों और अन्य परिजनो के संरक्षण में रहती है पर विवाहोपरांत पति-परमेश्वर के कानूनी घर में प्रवेश करने के बाद भी उसे कोई अधिकार नहीं मिलता। न तो समाज उसे कानूनी घर में हक सौंपता है, न कानून ही, जबकि वीनों जगह उससे अपेक्षाएं की जाती हैं कि वह पति परमेश्वर का घर बनाने, सजाने-संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उसकी व अन्य परिजनो की सेवा-सुधुषा करे, दासी की भूमिका में जाए पर बदले में कुछ भी न मागे। हमारा कानून भी स्त्री को सुहागिन के रूप में कोई अधिकार नहीं सौंपता, हक देना भी है तो विधवा के रूप में और वह भी पति की संपत्ति में बच्चों के बराबर का हक, उसके जीते जी नहीं। जिस पति-परमेश्वर के साथ वह उसके घर की एक-एक ईंट सहेजने-गढ़ने में अपना सारा श्रम अस्तित्व खपा देती है, बदले में उफ तक नहीं करती, पर तब भी उसे हक नहीं मिलता। विवाह-विच्छेद या तलाक की स्थितियों में भी वह सिर्फ तलाक अर्पण की हकदार होती है। ऐसा क्यों?

मान्यवर, अक्सर देखने में आया है कि आर्थिक सुरक्षा, आत्म-निर्भरता के अभाव में ही भारतीय स्त्रियों पर सांघातिक हमले हो रहे हैं। दहेज-हत्या की बढ़ती घटनाएं इसका प्रमाण हैं। यदि स्त्री का विवाह होते ही उसका अपने पति की चल-अचल संपत्ति में इक्वल पार्टनर होने के नाते आधा अधिकार कानूनी एवं सामाजिक तौर पर स्वीकार कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि वह खुब को सुरक्षित महसूस करेगी और अपने अज्ञानता, निराश्रिता एवं आर्थिक रूप से असहाय होने की भीमता पर भी काबू पा सकेगी और पति के घर में अपना अस्तित्व प्रमाणित कर सकेगी। इससे उसके भीतर का खोया आत्म-विश्वास लौट आएगा और शोषण, दहेज-हत्या व अत्याचार की घटनाएं भी कम हो जाएंगी। विवाह-विच्छेद की घटनाएं भी घट जाएंगी क्योंकि बहुत से मामलों में इसका मूल कारण आर्थिक ही होता है। ऐसे में मैं चाहूंगी कि सरकार व समाज इसकी मंजूरी वैवाहिक जीवन में उसे दे दे।

मान्यवर, इससे पूर्व मैं इस मुद्दे को 13 मई, 1988 को प्रायवेट मेंबरस बिल के रूप में विवाहित महिला अधिकार संरक्षण बिल, 1988 के रूप में सदन में पुनर्स्थापित कर चुकी हूँ और राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष भी विचार के लिए रख चुकी हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग भी इन मुद्दों से सहमत है और उसने भी यह कहा है कि इन मुद्दों पर जन-सामान्य को रायशुमारी होनी चाहिए।

महोदय, 10 मई, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं. 1839 के अंतर्गत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार न दिया जाना शीर्षक से पूछे गए मेरे प्रश्न के उत्तर में विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में पूर्व राज्यमंत्री श्री पी. आर. कुमारमंगलम ने स्वीकारा था कि, "महिलाएँ साधारण तथा पैतृक संपत्ति में समान अंश नहीं पाती जबकि भिन्न-भिन्न व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार इसके हकदार हैं। इस विषय में विधि स्पष्ट हैं और कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है और न ही इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है कि महिलाओं को उनके पतियों के जीवनकाल में उनके पतियों की संपत्ति में से अंश दिया जाए।"

महोदय, सरकार ने यह भी स्वीकारा है कि छले सप्ताह पारसी समुदाय की महिलाओं को

संपत्ति में समान अधिकार देने के लिए संसद के दोनों सदन में भारतीय उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 1991 पारित किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं को भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं पर हिन्दू महिलाओं के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? एक ही देश में, एक ही संविधान की त्रिभाषा में धर्म के नाम पर यह विभेद क्यों? जबकि संविधान भाषा, धर्म के नाम पर विभेद की छूट नहीं देता और धर्मनिरपेक्षता की राह पर चलने की बात करता है, ऐसे में क्या हिंदू स्त्री होना अभिशाप है? हिंदू महिलाओं के लिए उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन क्यों नहीं हो सकता? क्या हिंदू स्त्री को अपने अधिकार के लिए अपने सुहाग मिटने तक की प्रतीक्षा करना पड़ेगी? इससे तो साफ जाहिर होता है कि भारतीय महिलाओं को लेकर की जानेवाली शासकीय एवं सामाजिक चिन्ताएं खोखली हैं। उनका कोई अर्थ नहीं है। तभी तो महिलाओं के लिए घोषित तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब तक उन्हें कतिपय अधिकार नहीं मिलेगा उनके लिए किए गए कार्य व्यर्थ सिद्ध होंगे।

अतः आज मैं इस माननीय सदन के माध्यम से सरकार के सामने देश के समस्त महिला समाज की कुछ मांगें रखना चाहती हूँ कि—

1. महिलाओं को पति की चल-अचल संपत्ति में शादी के दिन से आधा अधिकार दिलवाने के लिए सरकार जल्दी ही हिन्दू विवाह अधिनियम एवं उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधित बिल पास करे।

2. महिलाओं को पैतृक संपत्ति में भी अधिकार दिलवाने के लिए संविधान संशोधन करे।

3. इन सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग को आदेश दे कि वह इस पर देशभर में व्यापक चर्चा कराए।

4. राष्ट्रीय महिला आयोग इस पर जल्दी ही सदन में एक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

5. सरकार विधि एवं कानून मंत्रालय के तहत एक समिति गठित कर इस मुद्दे पर गंभीरता

से निरीक्षण-परीक्षण व खोज करवाए तथा अन्त में,

6. यदि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार नहीं करती तो मैं सदन के माध्यम से इस पुरुष प्रधान समाज व सरकार से पूछना चाहूंगी कि आखिर स्त्री का घर कौनसा है? स्त्री के जन्म वाला भाई-बहन, सखी-सहेली, प्यार-दुलार व अधिकार वाला उसके पिता का घर या स्त्री के त्याग, बलिदान, बिना अधिकारों वाला पति-परमेश्वर का घर?

श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन : (महाराष्ट्र) उपाध्यक्ष जी, वीणा वर्मा जी ने यहाँ पर जो महिलाओं के अधिकार के संबंध में बात उठाई है, उससे हम संबद्ध करती हैं।.....(व्यवधान).....

श्री रजनी रंजन साहू : (बिहार) : अरे, हम भी संबद्ध करते हैं।.....(व्यवधान).....

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : उपाध्यक्ष जी, आप पर भी संकेत है वीणा वर्मा जी का।.....(व्यवधान)..... मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूँ।.....(व्यवधान).....

उपसमाध्यक्ष श्री शंकर दयाल सिंह : नजदीक में रजनी रंजन साहू जी हैं, उन पर ज्यादा होगा।

श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन : सर, यह बहुत ही अहम मसला इन्होंने उठाया। उन्होंने जो कहा है, सही है कि कानूनी परिवर्तन किया जाए और महिलाओं के जो हक हैं, चाहे वह प्रोपर्टी में हो, वह दिलावा जाए। पति की जो प्रोपर्टी रहती है उसमें आधा हिस्सा देने की जो बात इन्होंने यहाँ पर उठाई है, उससे हम सब महिलाएं बिल्कुल सहमत हैं और अपने को संबद्ध करती हैं।.....(व्यवधान).....

श्री रजनी रंजन साहू : हम पुरुष भी संबद्ध करते हैं अपने को। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने को संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन : महिला आयोग के बारे में भी जो इन्होंने कहा है, उस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।....(व्यवधान)....

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : प्रच्छा
अब आगे चलिए। प्रमोद महाजन जी।

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : उपाध्यक्ष
जी,.....(व्यवधान).....

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : चलिए,
आप सब लोगों ने एसोसिएट किया। ... (व्यवधान)...

श्रीमती उमिला चिमनभाई पटेल (गुजरात) :
सर।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आप
भी एसोसिएट कर रही हैं। हो गया आपका।

श्री प्रमोद महाजन : मैं बच्चों को और से इतना
कहना चाहता हूँ कि बच्चों को माँ और बाप दोनों
में अधिकार होना चाहिए। ... (व्यवधान) ... मैंने
कहा, बच्चों की ओर से हम यह कहना चाहते हैं
कि बच्चों को माँ और बाप दोनों में अधिकार
दीजिए, नहीं तो माँ अलग हो जाएगी और आप
अलग हो जाएगा तो माँ आधा ले जाएगी और
बाप आधा ले जाएगा और बच्चों का गड़बड़ हो
जाएगा। ... (व्यवधान).....

श्रीमती शोभा वर्मा : आप अपना बोलिए,
बच्चों को यहाँ न जाए। (व्यवधान).....

श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान (बिहार) : "नारी
हे रतन की खान, उससे निकले सुरन मुनि ज्ञानों"।
सारे लोग उसी से निकले हैं। सारी संपत्ति उसी
की है। उसको तो सारा अधिकार मिलना चाहिए।
.. (व्यवधान).....

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : बैठिए।
बैठ जाइए। प्रमोद महाजन जी, आप बोलिए।

श्रीमती उमिला चिमनभाई पटेल : उपाध्यक्ष जी,
स्त्री को कोई अधिकार व्यवहार में नहीं मिलते
हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आपने
भी एसोसिएट किया बोलिए।

श्रीमती उमिला चिमनभाई पटेल : मैं एसोसिएट
भी करती हूँ और मुझे थोड़ा और से इस तरह से
भी कहना है कि रत्नी सुबह से रात तक काम
करती है।...

2126 RSS/94—

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : अब
प्रमोद महाजन जी को बुला लिया है। ... (व्यवधान)
... चलिए, इसके लिए आप अलग से दे दीजिए।
... (व्यवधान) ... अब देखिए, इनको बुला लिया है।

श्रीमती उमिला चिमनभाई पटेल : महिलाओं
के लिए वह समय देंगे। ऐसी कोई बात नहीं
है।

श्री प्रमोद महाजन : मान्यवर, मैं तो पूरी
संपत्ति दूंगा। ... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : चलिए,
बोल लीजिए।

श्रीमती उमिला चिमनभाई पटेल : उपाध्यक्ष जी,
पूरा दिन महिला काम करती है, लेकिन उसका कोई
आर्थिक मूल्य घर में माना ही नहीं जाता और
व्यवहार में अगर उसकी दो पैसे भी चाहिए होते
हैं तो उसको पति के पास से, पिता के पास से
या पुत्र के पास से पैसे लेना पड़ता है। पूरी
जिंदगी अपने कुटुम्ब के लिए वह बलिदान कर
रही है, फिर भी उसका घर में कोई अधिकार
नहीं रहता है बल्कि बदले में कभी उसका अपमान
किया जाता है, कभी घर से निकाला जाता है,
कभी धारपीट की जाती है, कभी जलाया जाता है।
अगर स्त्री को शादी करते ही अपने पति के घर
में इगोर्टेंस दिया जाए तो यह सब न हो।...

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : देखिए,
विशेष उल्लेख एक मੈम्बर का रहता है और
दूसरे लोग सिर्फ एसोसिएट करते हैं। प्रमोद
महाजन जी, आप बोलिए।

GOVERNMENTS STAND ON DABHOL POWER PROJECT IN MAHARASHTRA

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष जी,
हमारे देश में बढ़ते हुए औद्योगिकरण के लिए
विजली की आपूर्ति बढ़ाना भी आवश्यक है, लेकिन
जिस गति से हमारा औद्योगिकरण बढ़ रहा है
उस गति से विजली की आपूर्ति नहीं हो रही
है। इसलिए इन दिनों में एक नई नीति बनी
है, जिस नीति से विजली के क्षेत्र में विदेशी
पूंजी निवेश का हमने स्वागत किया है। सिद्धांत
रूप में विजली के क्षेत्र में यदि हिन्दुस्तान के किसी